>

Title: Situation arising out of proposed amendment to Railway Protection Force Act, 1957 resulting in encroachment of powers of States.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ। रेल मंत्रालय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स् एक्ट, 1957 को संशोधन हेतु लाने जा रही है। गृह मंत्रालय एवं विधि तथा न्याय मंत्रालय ने इसे स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने निर्देशानुसार इस बिल पर अपने सुझाव दिनांक 07.03.2012 को गृह विभाग द्वारा भेज दिए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान द्वारा दिए गए राज्य सरकारों के अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा है।

इसमें दिए जाने वाले कमल/मसुदे भारतीय संविधान के आर्टीकल 246 के अनुसार नहीं हैं। पब्लिक ऑडर तथा पुलिस राज्य सरकारों के अधीन है। इसमें परिवर्तन करना राज्य सरकारों के अधिकारों पर आक्रमण करना तथा देश के फेडरल स्ट्रक्चर को धक्का देना होगा। यह बॉम्बे पोलिस एक्ट, 1956 का सरासर उलंघन है।

रेल मंत्रालय यह दावा करता है कि देश की समग्र रेल संपदा का स्वतंत्र अस्तित्व है। उस पर रेल मंत्रालय का स्वामित्व है। इसकी जांच एवं गिरफ्तारी करने के अधिकार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं। यह अजीब सा लगता है, जबकि रेल विभिन्न राज्यों से गुजरती है, स्थानांतर होता रहता है। ऐसे में प्रवासियों को रलवे पुलिस अधिकारी से शिकायत दर्ज करनी हो तो मुश्किल होगी क्योंकि ज्युरिस्डिक्शन बदलता रहता है। तद्उपरांत राज्य पुलिस सत्ता में हस्तक्षेप करना भी गंभीर मामला है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि उपरोक्त एक्ट को पारित होने से दूर रखे एवं पुलिस सत्ता अधिकारों में होने वाले द्वंद समाप्त करे।